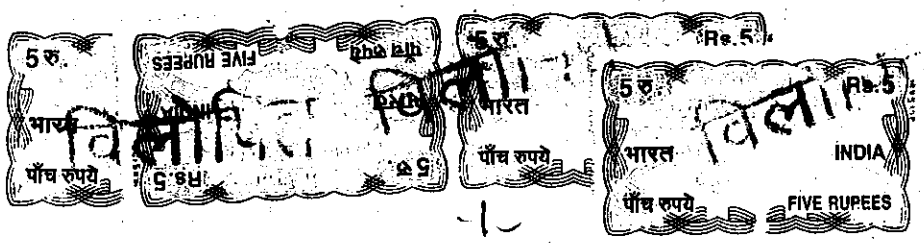

न्यायालय समक्ष राजस्व मंडल ग्वालियर म0प्र0

निग-145-II-16 प्र.क......../15

महर्षि वेद विज्ञान विश्वविद्यालय
प्रबंध न्यासी श्री गिरीश चंद वर्मा,
आत्मज श्री के.के. वर्मा, साकिन गाजियाबाद,
उ0प्र0 द्वारा प्राचार्य श्री सतवीर सिंह,
आत्मज श्री नेतराम सिंह
आयु-वयस्क पता-महर्षि विद्या मंदिर लहदरा,
सागर म0प्र0 --- निगरानीकर्ता

विरूद्ध

1. श्रीमती किरण सोनी जडिया
पत्नि स्व. श्री रामबाबू जडिया
आयु-वयस्क निवासी- गांधी चौक,
वार्ड सागर म0प्र0
2. सुधीर आत्मज स्व. श्री रामबाबू आयु-वयस्क
निवासी- गांधी चौक,
वार्ड सागर म0प्र0
3. म0प्र0 शासन --- उत्तरदातागण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू.रा.सं. 1959

उक्त निगरानी अधिनस्थ राजस्व निरीक्षक महोदय सागर म0प्र0 द्वारा प्रकरण क. 03/अ12/15-16 में पारित आलोच्य अंतरिम आदेश दिनांक 20.11.15 के विरूद्ध दुखित एवं परिवेदित होकर समयावधि में न्यायदान हेतु प्रस्तुत की जा रही है।

निगरानी के तथ्य

1. यह कि उत्तरदाता क. 1 व 2 ने अधिनस्थ न्यायालय श्रीमान तहसीलदार महोदय सागर म0प्र0 के समक्ष ग्राम लहदरा स्थित भूमि ख.क 238 रकबा 0.10 हैक्टैयर एवं ख.क. 239 रकबा 0.10 हैक्टैयर भूमि के सीमांकन करवाने हेतु आवेदन प्रस्तुत

निरंतर...2

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

.....

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक 145/।।/2016 निगरानी **जिला सागर**

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एंव अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
31 –10–2016	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री सुनील सिंह जादौन उपस्थित। अनावेदक कमांक–1 व 2 की ओर से अधिवक्ता श्री दुष्यन्त कुमार सिंह उपस्थित। अनावेदक कमांक–3 की ओर से शासकीय पैनल अधिवक्ता उपस्थित। आवेदक अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी राजस्व निरीक्षक, रा.नि.मं. सागर–1, जिला सागर के प्रकरण कमांक 3/अ 12/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 20–11–2015 के विरूद्ध म0प्र0भू राजस्व संहिता–1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि अनावेदक कमांक–1 व 2 द्वारा भूमि खसरा नम्बर 238 रकवा 0.10 हैक्टर एवं खसरा नम्बर 239 रकवा 0.10 हैक्टर भूमि कुल रकवा 0.20 हैक्टर पटवारी हल्का नम्बर 50 रा.नि.म.सागर–1 स्थित ग्राम लहदरा के सीमांकन बाबत् आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। जिसे प्रकरण कमांक 3/अ 12/2015–16 पर पंजीवद्व किया जाकर आदेश दिनांक 20–11–2015 को सीमांकन स्वीकृत किया गया। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। 3– आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिए गए है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश पारित करने से पूर्व संहिता में वर्णित नियम व प्रावधान का पालन नहीं किया है। विवातिद भूमि पर आवेदक का कब्जा है। आवेदक द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में आपत्ति प्रस्तुत की गई थी परन्तु आवेदक की आपत्ति के सभी बिन्दुओं का विधिवत निराकरण न किया जाकर, आवेदक से न तो जबाव लिया ना ही तर्क श्रवण किये गये। उनका यह भी तर्क है कि,विवादित भूमि के आवेदक आधिपत्यधारी है। आवेदक द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में सीमांकन	

रोके जाने संबंधी आदेश प्रस्तुत नहीं किया गया था इसलिये आवेदक की आपत्ति निरस्त की गई। इस कारण सीमांकन आदेश निरस्त कर निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया।

4– अनावेदक कमांक 1 व 2 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिए गए है कि, अनावेदक कमांक–1 व 2 द्वारा अपनी क्रय शुदा भूमि स्वामी स्वत्व की भूमि के सीमांकन हेतु चालान जमा कर आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसे विधिवत दर्ज किया जाकर, दिनांक 29–10–2015 को हल्का पटवारी द्वारा नोटिस जारी किये गये। दिनांक 17–11–2015 को प्रकरण में हल्का पटवारी के साथ मौके पर उपस्थित होकर खसरा नम्बर 238 एवं 239 की चतुर्थ सीमायें कायम कर पडोसी काश्तकारों, सहखातेदारो एवं आपत्तिकर्ता/आवेदक की उपस्थिति में निशान लगवायें गये अपात्तिकर्ता महर्षि वेद विज्ञान वि.वि. प्रबंध न्यासी श्री गिरीशचन्द्र वर्मा वल्द के.के. वर्मा सा.गाजियाबाद (उ0प्र0) का उक्त विवादित भूमि पर खेल मैदान एवं बाउन्ड्रीवाल बनाकर कब्जा पाया गया। आपत्तिकर्ता द्वारा आपत्ति प्रस्तुत कर लेख किया गया कि पटवारी नक्शा त्रुटी पूर्ण है एवं जांच चल रही है। सीमांकन रोकने वावत आपत्तिकर्ता द्वारा सक्षम न्यायालय से आदेश प्रस्तुत करने हेतु 2 दिन का समय चाहा गया। दिनांक 20–11–2015 को आपत्तिकर्ता द्वारा सक्षम न्यायालय का आदेश प्रस्तुत न करने पर आपत्तिकर्ता की आपत्ति निराधार होने से खारिज की जाकर, सीमांकन स्वीकृत किया गया।

उनका यह भी तर्क है कि, अधिनस्थ न्यायालय द्वारा समस्त हितवद्व पक्षकारों एवं सरहदी काश्तकारों को सूचना दी गई। आवेदक द्वारा जबरन अनावेदक कंमाक–1 व 2 की भूमि पर कब्जा किया जाकर बाउड्रीबाल निमार्ण किया गया है। मौके पर आवेदक एवं समस्त हितवद्व काश्तकार उपस्थित थे एवं आवेदक की आपत्ति का विधिवत निराकरण कर, संहिता में वर्णित विधि का पालन कर विधिवत सीमांकन आदेश पारित किया गया है। इस कारण सीमांकन आदेश उचित होने से स्थिर रखा जाकर, आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी निरस्त करने का निवेदन किया गया।

5— अनावेदक कमांक—3 की ओर से विद्वान शासकीय पैनल अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि, अधिनस्थ न्यायालय द्वारा म.प्र.भू राजस्व संहिता—1959 की धारा—129 का विधिवत प्रकिया अपनाई जाकर सीमांकन आदेश पारित किया है। जिसमें हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। इस कारण उनके द्वारा निगरानी निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया।

6— निगरानी मेमो के तथ्यों आवेदक द्वारा प्रस्तुत लिखित तर्क तथा अभिलेख एंव उभयपक्षों के अधिवक्ताओं के तर्को पर विचार किया एवं अधिनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि, अनावेदक द्वारा उक्त भूमि जर्ये रजिस्टर्ड विकय पत्र द्वारा कय की जाकर सीमांकन किये जाने हेतु आवेदन पेश किया गया। जिसे दर्ज कर सीमांकन के पूर्व राजस्व निरीक्षक द्वारा विधिवत समस्त हितवद्ध काश्तकारों/पक्षकारो को सूचना व सुनवाई का अवसर दिया जाकर पंचनामा, फील्डबुक,नक्शा तैयार किया गया एवं आवेदक की आपत्ति का विधिवत निराकरण कर राजस्व निरीक्षक द्वारा संहिता की धारा 129 का विधिवत पालन किया जाकर सीमांकन कार्यवाही की गई है। अभिलेख से यह भी स्पष्ट है कि आवेदक द्वारा प्रकरण के समस्त हितवद्ध पक्षकारों को निगरानी प्रकरण में संयोजित नहीं किया गया है। अतः प्रकरण की समग्र परिस्थितियों पर विचार करने के पश्चात राजस्व निरीक्षक द्वारा पारित आदेश दिनांक 20—11—2015 उचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य है।

7— उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी खारिज की जाकर, राजस्व निरीक्षक रा.नि.म. सागर—1 द्वारा प्रकरण कमांक 3/अ 12/2015—16 में पारित आदेश दिनांक 20—11—2015 विधिसम्मत होने से स्थिर रखा जाता हैं।

(एम.के.सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश, ग्वालियर